फोन : (0755) 2490322



प्रति.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

भोपाल (म.प.)

दिनाकः /2/2013

प्रमुख राचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल

Munish

विषयः-प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता के संबंध में। राज्दर्भः--मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक। 992/414/सीसी/12/38/ दिनॉक 22.12.2012

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश निजी थिश्वदिष्टालय (स्वापजा एवं संचालन) अधिनियम २००७ के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा पारित विभिवन संशोधनों के आध्यम से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खापित किये नये है.जा रहे हैं।

राज्य में स्थापित सभी निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (UGC Act) 1956 की धारा 22 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोज द्वारा मान्य (उपाधियाँ) संबन्धित मानक संस्थाओं की अनुमति (जहाँ आवश्यक हो) से अपने मुख्य कैम्पस से नियमित रूप से संघालित पाठ्यकर्मों की उपाधियाँ प्रदान करने हेत् अधिकृत हैं। ये उपाधियाँ शासकीय संख्याओं सहित किसी भी संख्या में प्रवेश एवं रोजजार प्राप्त करने हेत् मान्य है। विश्वविद्यालय अनुवान आयोग नई दिल्ली ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र के साध्यन से डियी प्रयान किए नाने की अधिकारिता डेतु सुसित भी किया है ब्युजी.सी, के पत्र के सुसंगत अंश जिम्नानुसार है :

"......State Private University is empowered to award degrees as specified by the UGC Under section 22 of the UGC Act 1956 through its main campus in regular mode with approval of statutory bodies/councils, wherever required"

अतः मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसुचित निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधियाँ शासकीय या अन्य संरथाओं में प्रवेश एवं रोजगार हेत मान्य है।

(धेयरमैन द्वारा अनमोदित)

(डॉ. पी.के. खरे) स्वचित्र

थक्षाकन कनांक. 89. (म.प. नि. वि. वि. वि. आयोग भोपाल

Raias:/ (12/2013

प्रतिलिपिः- १. कुलपति/कुलसबिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश। आह में र यही रासिती , ज्यान मेंदु आर वियरमैन द्वारा अनमोदित)

161 साहितन - वास्त्री सेंड, एवसीसेंस कॉलेन्ड के सामले कलियासोत डेम. ओपाल